झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अपराधिक विविध याचिका संख्या 2887/2022

प्रेम रंजन मणि पाठक, उम्र लगभग 45 वर्ष, पुत्र बशिष्ठ मणि पाठक, निवासी 06, सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास, 504, सुशीला अपार्टमेंट बी ब्लॉक, लोवाडीह, पोस्ट-नामकुम, जिला-रांची (झारखंड)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. बिनोद यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, पुत्र श्री द्वारिका यादव, निवासी पूर्णानगर गढ़ी, श्रीरामपुर, डाकघर + थाना - गिरिडीह, जिला- गिरिडीह, वर्तमान में प्रबंधक, बालाजी हाईटेक रोलिंग प्रा. लिमिटेड, चत्रो गाडी, श्रीरामपुर, डाकघर +थाना - गिरिडीह, जिला- गिरिडीह

....विपक्षी

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री शादाब इकबाल, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	: श्री शिव शंकर कुमार, अपर लोक अभियोजक
विपक्षी पक्षों की ओर से	: श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता
	श्री संकल्प गोस्वामी, अधिवक्ता
	श्री कामदेव पांडे, अधिवक्ता

<u>प्रस्तुत</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ गिरिडीह (मुफ्फसिल) थाना कांड संख्या 235/2019 से उत्पन्न शिकायत मामला संख्या 794/2022 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 07.07.2022 के संज्ञान के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जहां विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध पाई।

3. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट के रूप में काम कर रहा था और वह 500 रुपये प्रति टन के कमीशन के भुगतान पर लोहे की छड़ों का अपना उत्पाद बेचता था और निर्विवाद तथ्य यह है कि बाद में याचिकाकर्ता और उक्त मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच 23.05.2019 को एक समझौता हुआ और जिसके नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को कंपनी के खरीदारों से ऑर्डर और पोस्टडेटेड चेक प्राप्त करने थे, जिन्हें कंपनी की ओर से याचिकाकर्ता द्वारा एकत्र किया जाना था और कंपनी को खरीदारों को सामग्री की आपूर्ति करनी थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने कंपनी मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑर्डर प्राप्त किए। लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, लेकिन समझौते की शर्तों के अनुसार, चेक प्राप्त करने के बजाय, याचिकाकर्ता ने मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड के लोहे की छड़ के आठ अलग-अलग खरीदारों से 33,50,578 रुपये की नकदी एकत्र की और बेईमानी से उक्त राशि का गबन किया। सूचक - विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने पहले लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके आधार पर, गिरिडीह (मुफस्सिल) थाना कांड संख्या 235/2019 मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच के निष्कर्ष के बाद, पुलिस ने अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि पक्षों के बीच विवाद एक नागरिक विवाद है और याचिकाकर्ता को परीक्षण के लिए नहीं भेजा। सूचक ने एक विरोध याचिका दायर की, जिसे एसडीजेएम, गिरिडीह द्वारा शिकायत मामला संख्या 794/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया और विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री, यानी शिकायत, शिकायतकर्ता के गंभीर बयान और जांच गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए

रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है और याचिकाकर्ता पर प्रक्रिया जारी करने का आदेश पारित किया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठे हैं और आरोप केवल अनुबंध का उल्लंघन है और यह अपने आप में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह से एक सिविल विवाद है।

5. भारतीय तेल निगम बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, जिसे मानू एस सी 3152 2006 में रिपोर्ट किया गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि यह आम धारणा है कि सिविल कानून के उपाय समय लेने वाले हैं और उधारदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं और यह भी धारणा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से आपराधिक मुकदमे में उलझा हुआ है, तो उसके जल्द ही निपटारे की संभावना है। आपराधिक मुकदमे के माध्यम से दबाव डालकर सिविल विवादों और दावों को निपटाने का कोई भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, की निंदा की जानी चाहिए और उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का आपराधिक मुकदमा अवांछित है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इसके बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बिनोद कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले में 2014 में दिए गए फैसले 8 सुप्रीम 112 का हवाला दिया है, जिसका पैरा 18 अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है:-

> "18. xxxxx आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं द्वारा धन रखा गया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से बेईमानी से उसका निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को धन का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात नहीं है।"

और प्रस्तुत किया कि इस मामले में भी धारा 406 के तहत सामग्री नहीं बनती है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इसके बाद भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नाथालाल मामले में एआईआर 1968 एससी 700 में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसका पैरा 8 इस प्रकार है:-

"8. धारा 405 आईपीसी में पाया गया शब्द "सौंपा" न केवल उसके तुरंत बाद आने वाले शब्द "संपत्ति के साथ" को नियंत्रित करता है, बल्कि उसके बाद आने वाले शब्द "या संपत्ति पर किसी भी प्रभुत्व के साथ" को भी नियंत्रित करता है-देखें वेलजी राघवजी पटेल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965-2 एससीआर 429 = (एआईआर 1965 एससी 1433)। किसी भी सौंपे जाने से पहले एक ट्रस्ट होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ा एक दायित्व और मालिक द्वारा रखा गया और स्वीकार किया गया या किसी अन्य के या किसी अन्य और मालिक के लाभ के लिए उसके द्वारा घोषित और स्वीकार किया गया विश्वास। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के सौंपे जाने के लिए ट्रस्ट के कानून की सभी तकनीकीताओं का पालन करना होगा-देखें जसवंतराय मणिलाल बनाम बॉम्बे राज्य 1956 एससीआर 483 पृष्ठ 498 500 = (एआईआर 1956 एससी 575 पृष्ठ 582 583)। 'सौंपना' शब्द का तात्पर्य यह है कि कोई संपत्ति सौंपने वाला व्यक्ति या जिसकी ओर से वह संपत्ति किसी अन्य को सौंपी जाती है, वह उसका स्वामी बना रहता है। इसके अलावा, संपत्ति सौंपने वाले व्यक्ति को संपत्ति लेने वाले व्यक्ति पर भरोसा होना चाहिए ताकि उनके बीच एक भरोसेमंद रिश्ता बन सके। केवल बिक्री का लेन-देन सौंपना नहीं माना जा सकता। यह सच है कि सरकार ने विचाराधीन सीमेंट को केवल निर्माण कार्य के सिलसिले में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से बीएसएस को बेचा था। लेकिन वह परिस्थिति विचाराधीन लेन-देन को बिक्री के अलावा कुछ और नहीं बनाती है। सीमेंट की डिलीवरी के बाद, सरकार के पास उस पर न तो कोई अधिकार था और न ही उसका कोई प्रभुत्व था। यदि क्रेता या उसका प्रतिनिधि सीमेंट नियंत्रण से संबंधित किसी भी कानून की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा था, तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। लेकिन हम यह मानने में असमर्थ हैं कि किसी तरह का विश्वासघात हुआ था।

और प्रस्तुत किया कि इस मामले में किसी को सौंपने का आरोप नहीं है, इसलिए, आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध नहीं बनता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दीपक गाबा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जो 2023 लाइव लॉ (एससी) 3 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह माना है कि अदालत को सिविल और आपराधिक गलतियों के बीच अंतर के प्रति सतर्क रहना चाहिए, हालांकि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ आरोप सिविल और आपराधिक दोनों तरह की गलतियाँ हो सकती हैं और प्रस्तुत किया है कि इस मामले में कोई आपराधिक गलती नहीं की गई है और विद्वान एसडीजेएम को याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं मिलना चाहिए था।
9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आनंद कुमार मोहत्ता एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) गृह विभाग एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसे मनु/एस सी/1281/2018 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में पारित उक्त निर्णय पर भरोसा किया और उसे अनुमोदित किया है और साथ ही हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले को भी 1992 के अनुपूरक (1) एससीसी 335 में रिपोर्ट किया है।
10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माधवराव जीवाजीराव सिंधिया एवं अन्य बनाम संभाजीराव चंद्रोजीराव आंग्रे एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो मनु/एससी/0261/1988 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें, उस मामले के तथ्यों में, चूंकि मामले के तथ्य एक सिविल अपराध का गठन करते थे, और आपराधिक अपराध के तत्व वांछित थे, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले के अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया था।
11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सौरव घोष चौधरी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में भारत के इस न्यायालय द्वारा सीआरएमपी संख्या 2584/2022 में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसका पैरा 9 इस प्रकार है:-

> "9. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है; कि आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त द्वारा धन रखा गया है। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने किसी तरह से बेईमानी से उसका निपटान किया है या बेईमानी से उसे अपने पास रखा है जैसा कि माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने बिनोद कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में (2014) 10 एससीसी 663 में रिपोर्ट किया है, जिसका पैरा 18 इस प्रकार है:-

> "18. वर्तमान मामले में, शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि धारा 405 आईपीसी के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसी तरह, धोखाधड़ी या अपीलकर्ताओं द्वारा खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे रखने के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। इस स्पष्ट आरोप को छोड़कर कि अपीलकर्ताओं ने दूसरे प्रतिवादी को भुगतान नहीं किया और अपीलकर्ताओं ने राशि का उपयोग या तो खुद किया या किसी अन्य काम के लिए किया, संपत्ति के दुरुपयोग के बेईमान इरादे के बारे में कोई आरोप नहीं है। आपराधिक विश्वासघात का मामला बनाने के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने पैसे अपने पास रखे हैं। यह भी दिखाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं ने किसी तरह से बेईमानी से उसका निपटान किया या बेईमानी से उसे अपने पास रखा। केवल यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान नहीं किया, आपराधिक विश्वासघात नहीं है।" (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ बेईमानी से धन रखने का कोई आरोप नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि गिरिडीह (मुफस्सिल) थाना कांड संख्या 235/2019 से उत्पन्न शिकायत केस संख्या 794/2022 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 07.07.2022 के संज्ञान के आदेश के साथ-साथ संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और उसे अलग रखा जाए।

12. दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक ने संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ-साथ गिरिडीह (मुफस्सिल) थाना कांड संख्या 235/2019 से उत्पन्न शिकायत वाद संख्या 794/2022 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 07.07.2022 के संज्ञान आदेश का पुरजोर विरोध किया है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान आईपीसी की धारा 405 के दृष्टांत बी एवं सी की ओर आकृष्ट किया है, जो इस प्रकार है:-

उदाहरण

"(ख) अ एक गोदाम-पालक है। ज यात्रा पर जाते समय, अपना फर्नीचर अ को इस अनुबंध के तहत सौंपता है कि गोदाम के कमरे के लिए निर्धारित राशि का भुगतान करने पर इसे वापस कर दिया जाएगा। अ बेईमानी से माल बेचता है। अ ने आपराधिक विश्वासघात किया है।

(ग) अ जो कलकत्ता में रहता है, दिल्ली में रहने वाले ज का एजेंट है। अ और ज के बीच एक स्पष्ट या निहित अनुबंध है, कि ज द्वारा अ को भेजी गई सभी राशियाँ अ द्वारा ज के निर्देशानुसार निवेश की जाएँगी। ज, अ को एक लाख रुपए भेजता है, जिसमें अ को निर्देश दिया जाता है कि वह इसे कंपनी के कागजात में निवेश करे। अ बेईमानी से निर्देशों की अवहेलना करता है और पैसे को अपने व्यवसाय में लगाता है। अ ने आपराधिक विश्वासघात किया है।"

और प्रस्तुत करता है कि इस मामले में लगाए गए आरोप उक्त दो उदाहरणों द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं और याचिकाकर्ता का तर्क कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं, केवल पूर्ण पोशाक परीक्षण में ही निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन इस स्तर पर, निश्चित रूप से, 07.07.2022 के आदेश को बचाव पर विचार करके और इस अदालत द्वारा घूमती जांच में प्रवेश करके रद्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज कर दिया जाना चाहिए।

13. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई विशेष घटना, एक दीवानी अपराध के साथ-साथ दंडनीय अपराध भी हो सकती है। यह भी कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई घटना दीवानी अपराध के साथ-साथ आपराधिक अपराध को भी जन्म देती है, तो केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के पास एक दीवानी उपाय उपलब्ध है, आपराधिक मामले को रद्द नहीं किया जा सकता है।

14. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है कि याचिकाकर्ता ने बेईमानी से, शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच हुए निर्विवाद समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी चेक प्राप्त करने के बजाय, मेसर्स बालाजी हाईटेक रोलिंग प्राइवेट

लिमिटेड के विभिन्न खरीदारों से नकद राशि प्राप्त की और बेईमानी से उसे अपने पास रख लिया।

15. आरोप पर विचार करते हुए, यदि इसे पूरी तरह से सत्य माना जाता है, तो निश्चित रूप से, आईपीसी की धारा 405 के सभी तत्व जो आपराधिक विश्वासघात को परिभाषित करते हैं और जिसके लिए आईपीसी की धारा 406 में दंड का प्रावधान किया गया है, के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता की संपत्ति पर आधिपत्य रखने का आरोप है - शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता के ग्राहकों से इसे प्राप्त किया, याचिकाकर्ता ने बेईमानी से इसे अपने पास रख लिया। इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है, जहां गिरिडीह (मुफस्सिल) थाना केस संख्या 235/2019 से उत्पन्न शिकायत मामला संख्या 794/2022 के संबंध में विद्वान एसडीजेएम, गिरिडीह द्वारा पारित दिनांक 07.07.2022 के संज्ञान के आदेश के साथ-साथ संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

16. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है और अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, पहले पारित किया जाता है।

17. रजिस्ट्री को संबंधित न्यायालय को तुरंत सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 17 जनवरी, 2024
स्मिता / एएफआर

<u>यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।</u>